

—: डिक्री व मुकद्दमें इब्त्दाई :-

(ऑर्डर-21 रूल-6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प नोवी, तहसील सुमेरपुर

पीठासीन अधिकारी:- श्री विनोद कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 92/2017

दायर तिथि- 28.11.2017

तारीख फैसला- 01.05.2018

वादीगण-

बनाम:

प्रतिवादीगण-

कपुराराम पुत्र प्रेमरामजी

जाति मेगवंशी(मेघवाल)

निवासी नोवी तहसील सुमेरपुर

जिला पाली (राज.)

1- मांगीलाल पुत्र प्रेमरामजी

2-हजाराम पुत्र प्रेमरामजी

जातिगण मेगवंशी(मेघवाल)

निवासीगण नोवी तहसील सुमेरपुर

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट, 1955

—:निर्णय:-

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं-

1. वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध सरहद मौजा नोवी तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 303 रकबा 0.29 हैक्टर किस्म चाही दायम जाव दायम खसरा नं. 304 रकबा 0.69 हैक्टर किस्म चाही दायम जाव दायम खसरा नं. 305 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म गै.मु.बेरा खसरा नं. 306 रकबा 1.50 चाही दायम के बारे में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड के तहत विभाजन व निषेधाज्ञा प्राप्ति के लिये प्रस्तुत करने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 06.02.2018 को प्राथमिक डिक्री का आदेश पारित किया गया जिसकी पालना में 01.05.2018 को प्रस्तावित बटवाड़ा रिपोर्ट व नजरी नक्शा पटवारी हल्का नोवी से प्राप्त कर रेकॉर्ड पर लिये गये जिसके फलस्वरूप उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत पक्षकारों के मध्य निम्न रूपेण अन्तिम विभाजन किया जाता है।


क्र.सं.	मार्क	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
1.	ए.	कपुराराम पुत्र प्रेमराम कौम मेघवंशी सा. देहखातेदार	303/2	0.03	चा.दो.0.03	0.96
			304	0.69	चा.दो.0.55	17.60
			306/2	0.09	चा.दो.0.14	1.54
					चा.दो.0.09	2.88
			3	0.81	-	22.98
2.	बी.	मांगीलाल पुत्र प्रेमराम कौम मेघवंशी सा. देहखातेदार	303/1	0.18	चा.दो.0.14	4.48
					चा.दो.0.04	0.44
			306/1	0.63	चा.दो.0.63	20.16
			2	0.81	-	25.08
3.	सी.	हजाराम पुत्र प्रेमराम कौम मेघवंशी सा. देहखातेदार	303	0.08	चा.दो.0.06	1.92
					चा.दो.0.02	0.22
			306	0.73	चा.दो.0.73	23.36
			2	0.81	-	25.50

उपखण्ड अधिकारी

डी.	मांगीलाल हजारा	305	0.02	गै.मु.बे.0.02	1.60
	कपुराराम पुत्र प्रेमराम	306 / 3	0.05	चा.दा.0.05	
	कौम मेघवंशी सा. देहखातेदार	2	0.07	—	1.60

2. अतः वादीगण का यह वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण के स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर उपरोक्तानुसार अन्तिम विभाजन किया जाता है तथा बटवाड़ा मुजब खातेदार एक-दुसरे की बंट व हिस्से की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करेंगे एवं ना ही अन्य किसी से करायेंगे, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है। माफिक बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अंतिम डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। तहसीलदार सुमेरपुर एवं हल्का पटवारी नोवी उपरोक्त निर्णय एवं डिक्री अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद व राजस्व नक्शा में तरमीम कर पालना सुनिश्चित करे। पटवारी हल्का नोवी से प्राप्त प्रस्तावित बंटवाड़ा रिपोर्ट व नजरी नक्शा इस निर्णय अभिन्न भाग माना जायेगा।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प नोवी में सुनाया गया।


उपरवाड़ा अधिवक्ता
 सुमेरपुर, सुमेरपुर (राज.)